गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

(भवन अनुभाग)

(7)

पत्रांक 456 सेक्टर 4 दिनांक 31/01/17

सेवा में,

~~श्री/श्रीमती~~/मेसर्स बाँके बिहारी डेवलपर्स प्रा०लि० मोहद्दीपुर, गोरखपुर।
जरिए निदेशक श्री रामअधार चौधरी पु० स्व० मनोरथ चौधरी
मोहद्दीपुर गोरखपुर।

आपके पत्र दिनांक 21/01/2017 मानचित्र सं० 1021/2017 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय/व्यवसायिक भवन निर्माण को मोहल्ला/कालोनी मोहद्दीपुर भूखण्ड/भवन सं० 372/1, 372/2, 373/1, 374/2, 375/1, 375/2 व 375/3 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है । स्वीकृत मानचित्र संलग्न है ।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल 5 वर्ष तक वैद्य है ।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभावन नहीं होगा ।
3. जिस प्रयोजना के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा । विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है ।
4. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा ।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय का विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी ।
6. स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर ही रेखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया जायेगा ।
7. आप भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे ।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा ।
9. पर्यावरण की दृष्टि से उ०प्र० राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 10 पेड़ लगाना अनिवार्य है । स्वीकृत चित्र इसके साथ संलग्न है । भवन समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न रूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें ।
10. प्राधिकरण से अध्यासन (आकूपैन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आकूपायी) करेंगे । इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा ।
11. दरवाजे वा खिड़कियाँ इस तरह से लगायें जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्ट) न हों ।
12. बिजी की लाइन से 5 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा ।
13. सड़क, सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी का निकासी पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा ।
14. यह मानचित्र उ० प्र० नगर योजना एवं अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किये जाते हैं तो यह शर्त भी मान्य होगी ।
15. सड़क पर अथवा बैकलेन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे । यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें ।
16. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा ।
17. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र 30/01/17 का पालन करना होगा।

संलग्न : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति ।

प्रस्तुत मानचित्र शासनादेश संख्या–129 (1)/8–3–14–221 विविध/13 टी०सी० दिनांक 22 अप्रैल, 2014 शहरी आवास नियोजन अनुभाग–3 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में मा० उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–7065/2014 में पारित होने वाले आदेश के अधीन स्वीकृत/निर्गत किया जा रहा है।

(हस्ताक्षर)

सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर